

**THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
(RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2017**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 10th July, 2017.

2. Amendment of section 9, Central Act No. 2 of 1974.-

In section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (6) and before the existing explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Court of Session may hold, or the High Court may direct the Court of Session to hold its sitting in any particular case at any place in the sessions division, where it appears expedient to do so for considerations of internal security or public order, and in such cases, the consent of the prosecution and the accused shall not be necessary.”.

3. Amendment of section 195, Central Act No. 2 of

1974.- In clause (a) of sub-section (1) of section 195 of the principal Act, for the existing expression “except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate”, the expression “except on the complaint in writing of the public servant concerned or by such other public servant as the public servant concerned may authorize in writing in this behalf, or of

some other public servant to whom the public servant concerned is administratively subordinate” shall be substituted.

4. Amendment of section 273, Central Act No. 2 of 1974.- In section 273 of the principal Act, after the existing expression “shall be taken in the presence” and before the existing expression “of the accused”, the expression “, whether physically or through the medium of audio-video electronic means,” shall be inserted.

5. Amendment of section 276, Central Act No. 2 of 1974.- In sub-section (1) of section 276 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that evidence of a witness under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means in the presence of the pleader of the accused.”.

6. Amendment of section 293, Central Act No. 2 of 1974.- In clause (e) of sub-section (4) of section 293 of the principal Act, after the existing expression “Director” and before the existing expression “, Deputy Director”, the expression “, Additional Director” shall be inserted.

7. Amendment of section 313, Central Act No. 2 of 1974.- In sub-section (1) of section 313 of the principal Act, after the existing proviso, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided further that when the accused is present through the medium of audio-video electronic means, he may be examined under this sub-section through such medium of audio-video electronic means.”.

8. Repeal and savings.- (1) The Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 2 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The need to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 to ensure fair and speedy justice and to tone up the criminal justice system has been felt for quite some time.

In any particular case, the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sittings at any other place in the sessions division, it is necessary to make provision in section 9 of Code of Criminal Procedure, 1973 that it may without the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein.

The application of information technology in trial is expected to reduce delays, help in gathering credible evidences, minimise the risk of escape of the remand prisoners during transit and also facilitate utilisation of police personnel for other duties.

The Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Bill, 2017 seeks to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 *inter alia*, so as to—

- (a) amend section 9 by inserting a proviso that the Court of Session may hold its sitting in any particular case at any place in the sessions division;
- (b) amend section 195 to simplify the provision of filing complaint by the public servant. Now a complaint may also be filed by such public servant who is duly authorized in writing by the public servant concerned;
- (c) amend section 273, 276 and 313 for the application of technology in trial so that evidence may be taken through the medium of audio-video electronic means; and
- (d) amend section 293 by inserting the expression “Additional Director” as this post is now also available in the Forensic Science Laboratory.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 2 of 2017), on 10th

July, 2017, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 10th July, 2017.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

गुलाब चन्द कटारिया,

Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM CODE OF CRIMINAL
PROCEDURE ACT, 1973**

(ACT NO. 2 OF 1974)

XX XX XX XX XX XX XX

9. Court of Session.- (1) to (5) xx xx xx xx xx

(6) The Court of Session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may, by notification, specify; but, if, in any particular case, the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sittings at any other place in the sessions division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein.

Explanation.- For the purposes of this Code, "appointment" does not include the first appointment, posting or promotion of a person by the Government to any Service, or post in connection with the affairs of the Union or of a State, where under any law, such appointment, posting or promotion is required to be made by Government.

XX XX XX XX XX XX XX

195. Prosecution for contempt of lawful authority of public servants, for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence.- (1) No Court shall take cognizance-

- (a) (i) of any offence punishable under sections 172 to 188 (both inclusive) of the Indian Penal Code (45 of 1860), or
- (ii) of any abetment of, or attempt to commit, such offence, or
- (iii) of any criminal conspiracy to commit such offence,

except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate;

(b) xx xx xx xx xx xx xx
(2) to (4) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

273. Evidence to be taken in presence of accused.-

Except as otherwise expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceeding shall be taken in the presence of the accused, or, when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his pleader.

Provided that where the evidence of a woman below the age of eighteen years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offence, is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused.

Explanation.- In this section, "accused" includes a person in relation to whom any proceeding under Chapter VIII has been commenced under this Code.

XX XX XX XX XX XX XX

276. Record in trial before Court of Session.- (1) In all

trials before a Court of Session, the evidence of each witness shall, as his examination proceeds, be taken down in writing either by the presiding Judge himself or by his dictation in open Court or, under his direction and superintendence, by an officer of the Court appointed by him in this behalf.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

293. Reports of certain Government scientific experts.-

(1) to (3) xx xx xx

(4) This section applies to the following Government scientific experts, namely:-

(a) to (d) xx xx xx xx xx xx xx

(e) the Director, Deputy Director or Assistant Director of a Central Forensic Science Laboratory or a State Forensic Science Laboratory;

(f) to (g) xx xx xx xx xx
xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

313. Power to examine the accused.- (1) In every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the Court-

(a) may at any stage, without previously warning the accused put such questions to him as the Court considers necessary;

(b) shall, after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense, question him generally on the case:

Provided that in a summons-case, where the Court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with his examination under clause (b).

(2) to (5) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 10 जुलाई, 2017 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 9 का संशोधन.-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 में, विद्यमान उप-धारा (6) के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु सेशन न्यायालय, जहां उसे आंतरिक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के विचार से ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो या उच्च न्यायालय किसी विशेष मामले में सेशन खंड के किसी भी स्थान पर उसे बैठक करने का निदेश दे, बैठक कर सकेगा और ऐसे मामलों में अभियोजन और अभियुक्त की सहमति आवश्यक नहीं होगी।"

3. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 195 का

संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 195 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संज्ञान संबद्ध लोकसेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोकसेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "संज्ञान संबद्ध लोकसेवक के, या ऐसे अन्य लोक सेवक द्वारा जैसाकि संबद्ध लोकसेवक इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, या किसी अन्य ऐसे

लोकसेवक के, जिसका संबद्ध लोकसेवक प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है,

लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 273 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 273 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अभियुक्त की उपस्थिति में" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या जब उसे वैयक्तिक" के पूर्व, अभिव्यक्ति ", चाहे भौतिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से," अन्तःस्थापित की जायेगी।

5. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 276 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 276 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस उप-धारा के अधीन किसी साक्षी का साक्ष्य अभियुक्त के प्लीडर की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।"

6. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 293 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 293 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ", उप-निदेशक" के पूर्व, अभिव्यक्ति ", अपर निदेशक" अन्तःस्थापित की जायेगी।

7. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 313 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 313 की उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि जब अभियुक्त श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उपस्थित होता है, तब इस उप-धारा के अधीन ऐसे श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से उसकी परीक्षा की जा सकेगी।"

8. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी

कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उचित और त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने और दांडिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को संशोधित करने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी।

किसी विशिष्ट मामले में, सेशन न्यायालय की यह राय हो कि सेशन खंड में किसी भी अन्य स्थान पर इसकी बैठक आयोजित करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 में यह उपबंध किया जाना आवश्यक है कि वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति के बिना भी किसी मामले को निपटाने या उसमें के किसी साक्षी या साक्षियों के परीक्षण के लिए उक्त स्थान पर बैठक कर सकेगा।

विचारण में सूचना प्रौद्योगिकी के लागू होने से, विलम्ब में कमी, विश्वसनीय साक्ष्यों के एकत्रीकरण में मदद करना, अभिवहन के दौरान रिमांड कैदियों के बच निकलने के जोखिम में कमी और साथ ही पुलिस कार्मिकों के अन्य कर्तव्यों में उपयोग को सुकर बनाने की आशा है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को अन्य बातों के साथ इस प्रकार संशोधित किया जाना ईप्सित है कि-

- (क) धारा 9 में एक परन्तुक के अन्तःस्थापन द्वारा संशोधन करना कि सेशन न्यायालय किसी विशेष मामले में सेशन खंड के किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकेगा;
- (ख) लोक सेवक द्वारा परिवाद दायर करने के उपबंध सरल बनाने के लिए धारा 195 का संशोधन करना। अब कोई परिवाद, ऐसे लोक सेवक द्वारा भी दायर किया

जा सकेगा जो संबद्ध लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत हो;

(ग) विचारण में प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए धारा 273, 276 और 313 का संशोधन करना ताकि श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य लिया जा सके; और

(घ) धारा 293 में अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" के अन्तःस्थापन द्वारा संशोधन करना जैसाकि अब यह पद न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला में भी उपलब्ध है।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 10 जुलाई, 2017 को दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 10 जुलाई, 2017 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

गुलाब चन्द कटारिया,
प्रभारी मंत्री।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2)
से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

9. सेशन न्यायालय.- (1) से (5) XX XX XX
XX XX

(6) सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; किन्तु यदि किसी विशेष मामले में, सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह, अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है।

स्पष्टीकरण.- इस संहिता के प्रयोजनों के लिए "नियुक्ति" के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, पद-स्थापना या पदोन्नति नहीं है जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पद-स्थापना या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है।

XX XX XX XX XX

195. लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन.- (1) कोई न्यायालय-

(क) (i) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से धारा 188 तक की धाराओं के (जिनके

अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अथवा

(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, अथवा

(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड़यंत्र का,

संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं;

(ख) XX XX XX XX XX

(2) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

273. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना.-

अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा:

परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में "अभियुक्त" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बाबत् अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही इस संहिता के अधीन प्रारंभ की जा चुकी है।

XX XX XX XX XX

276. सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख.- (1)

सेशन न्यायालय के समक्ष सब विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य,

जैसे-जैसे उसकी परीक्षा होती जाती है, वैसे-वैसे या तो स्वयं पीठासीन न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निदेशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा।

(2) से (3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

293. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट.- (1) से

(3) XX XX XX

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है, अर्थात्:-

(क) से (घ) XX XX XX XX XX

(ड) किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक;

(च) से (छ) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति.- (1) प्रत्येक जांच या विचारण में, इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, न्यायालय-

(क) किसी प्रक्रम में, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे;

(ख) अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात् और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा:

परन्तु किसी समन-मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी है, वहां वह खण्ड (ख) के अधीन उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है।

(2) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं 39.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 39 of 2017

**THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
(RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2017**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Gulab Chand Kataria, **Minister-Incharge**)